आयोजनेत्तर

संख्या-2043 / III(2) / 04–6(बजट) / 2004

प्रेषक,

टी0के0 पन्त,
संयुक्तसचिव,
उत्तराचल शासन ।

सेवामे,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लो0नि0वि0,देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 22 दिसम्बर, 2004

विषयः– वित्तीय वर्ष 2004–2005 में सर्किट हाऊस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु प्राविधानित अवशेष धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1769 / 09 बजट (भवन अनुरक्षण) / 2004–2005, दिनांक 28–8–04 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या–478 / लो0नि0– III(2) / 04–6(बजट) / 2004, दिनांक 18–5–2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004–2005 में सर्किट हाउस, निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों के अनुरक्षण एवं विशेष मरम्मत हेतु आयोजनेत्तर मद में प्राविधानित अवशेष धनराशि रू0 12841 हजार (रूपये एक करोड अटठाईस लाख इकतालीस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का मासिक आवश्यकता के आधार पर कोषागार से आहरण किया जायेगा,यह सुनिशिचत कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू / निर्माणाधीन योजनाओ पर ही किया जायेगा तथा शासन की पूर्वानुमति के बिना नई योजनाओ पर धनराशि का व्यय कदापि नही किया जायेगा,कार्यवार आबंटित धनराशि की सूचना शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी ।

3– यह सुनिशिचत कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्य पर कार्य की पूर्वानुमानित लागत की सीमा तक ही किया जायेगा तथा समस्त कार्य लो0नि0वि0 के मानक तथा तदविषयक निर्गत आदेशो के अनुरूप कराये जायेगे, निर्माण कार्यो मे लो.नि.वि. की दरो पर आगणन गठित कर उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो मे बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमे व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो / पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनो पर सक्षम प्राधिकारी की तकनिकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

क्रमश 2/–

5- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि का कार्यवार आवंटन कर वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों का विवरण प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

7- विगत वर्ष उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त धनराशि के उपयोग के उपरान्त ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा ,पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

8- उपकरणों/ सामग्रियों का क्रय डी.जी.एस.एण्ड डी. की दर पर अथवा टैण्डर/कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा ।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.05 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

10- इस संबध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य -आयोजनेत्तर-102रखरखाव तथा मरम्मत'-06 सर्किट हाऊस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण सामान्य एवं विशेष मरम्मत-00 के अर्न्तगत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयो के नामे डाला जायेगा ।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. सं0 1050/वित्त अनुभाग-3/04,दिनांक 29 अगस्त , 2004 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नकः- यथोक्त ।

भवदीय

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव

संख्या- 2043(1)/ 111(2)/04,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,इलाहाबाद / देहरादून ।
2- आयुक्त गढवाल/कुमायू मंडल, पौडी/नैनीताल ।
3- समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
4- मुख्य अभियन्ता , गढवाल/कुमायू क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी/अल्मोडा ।
5- वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून ।
7- निजी सचिव ,मा0 सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री,भारत सरकार,नई दिल्ली ।
8- निजी सचिव,मा0 लोक निर्माण मंत्री जी उत्तरांचल ।
9- लोक निर्माण अनुभाग-1 उत्तरांचल शासन / गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव ।

R.c.xoshi-Go-niw

2043
शासनादेश संख्या– (1)/ III.2/04–06(बजट)/2004 दिनांक 22 सितं 2004

अनुदान संख्या–22
लेखाशीर्षक–2059– सर्किट हाऊस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनो का अनुरक्षण एवं मरम्मत
लेखाशीर्षक–2059–80–102–00–06

कम संख्या	विवरण	आबंटन (हजार रू0 में)
01	08 कार्यालय व्यय	667
02	09 विद्युत देय	433
03	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	307
04	13 टेलीफोन पर व्यय	187
05	29–अनुरक्षण	11247
	योगः–	12841

(रू0 एक करोड अट्ठाईस लाख इक्तालीस हजार मात्र)

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव ।